दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
दिल्ली सरकार

आतारांकित प्रश्न सं.-103
प्रश्नकर्ता- श्री रामचंदर
दिनांक- 27/02/2019

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह सत्य है कि बवाना विधानसभा क्षेत्र में डी यू एस आई बी के तहत शाहबाद डेरी कॉलोनी में कई वर्ष पहले झुग्गी -झोपड़ी वालो को झुग्गी तोड़कर प्लाट दिए जा रहे थे , तो उसमे से लगभग 700 परिवारों से 1680/- रु प्रति परिवार लिए गए थे।	जी हाँ यह सत्य है कि बवाना विधानसभा क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी तोड़कर इनसीटू योजना के तहत प्लॉट दिए गये थे तथा 798 लोगो द्वारा 1680/- रु प्रति परिवार की दर से राशि जमा करवाई गई थी। इस योजना में 192 परिवारों का ड्रा नहीं किया गया था क्योकि इस मामले में अनियमित्ताओ की शिकायते मिली थी। बाद में 1 जुलाई 2008 के आदेशानुसार सभी प्रकार के प्लॉट्स आवंटित करने पर रोक लगा दी गई थी।
(ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकार द्वारा उन्हें कागजात के रूप में डी. एस (D.S.) पी. एस (P. S.) सर्टिफिकेट दिए गए गए थे।	जी हाँ यह सत्य है।
(ग) क्या यह भी सत्य है कि ऐसे परिवारों को प्लॉट देने की योजना सरकार के विचाराधीन है।	वर्तमान में ऐसी कोई भी योजना विभाग में विचाराधीन नहीं है। साथ ही यह बताना भी उचित होगा की नई पॉलिसी (मुख्यमंत्री आवास योजना) के अनुसार अब झुग्गी झोपड़ी बस्तियों को प्लाट की जगह फ्लैट का आवंटन किया जाता है।
(घ) यदि हा, तो उन परिवारों को प्लाट कब तक दिए जायेंगे?	

उप निदेशक (संसद प्रकोष्ट)

उप सचिव (प्रशन शाखा), पुराना सचिवालय, दिल्ली सरकार